

सं०सं०-1/विविध-01/2018- 121(1)व.

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 19/03/2018

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न श्रेणी के एम्बुलेंस के परिचालन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 2,00,00,000/- मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश सं०-335(1) दिनांक-19.03.2018 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न श्रेणी के एम्बुलेंस के परिचालन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 2,00,00,000/- मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र का आवंटन दी जाती है।

2- यह कार्य कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना द्वारा कराया जायेगा। कार्य कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए राशि का व्यय करेंगे।


3- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अंतर्गत उप-शीर्ष-0111-एम्बुलेंस परिचालन, विपत्र कोड-20-2210012000111 अंतर्गत 0111.28.02 संविदा सेवायें ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी०टी०सी० फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना के पी०एल० खाता सं०-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ करायेंगे। कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे।


7- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० बिल नियमानुसार महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।



क्रमशः

- 8- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 9- राशि की अग्रिम निकासी में माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


19/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/विविध-01/2018- 121(1)ध. /स्वा0, पटना, दिनांक- 19 / 03 /2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवलाय कोषागार, विकास भवन, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 10/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


19/3/18

सरकार के विशेष सचिव



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 19/03/2018

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न श्रेणी के एम्बुलेंस के परिचालन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत विभिन्न श्रेणी के एम्बुलेंस के परिचालन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु० 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- यह कार्य कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना द्वारा कराया जायेगा। कार्य कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना वित्तीय नियमों को ध्यान में रखते हुए राशि का व्यय करेंगे।

3- यह राज्यादेश वित्त विभाग के विपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।


4- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ, समूह शीर्ष-राज्य योजना के अंतर्गत उप-शीर्ष-0111-एम्बुलेंस परिचालन, विपत्र कोड-20-2210012000111 अंतर्गत 0111.28.02 संविदा सेवायें ईकाई में वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा राशि की निकासी बी०टी०सी० फॉर्म-26 पर करते हुए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना के पी०एल० खाता सं०-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ करायेगे। कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे।

7- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी०सी० बिल नियमानुसार महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेगे।


8- प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-1/विविध-01/2018 के पृष्ठ-3/टि० पर प्राप्त है।



क्रमशः

- 9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10- राशि की अग्रिम निकासी में माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
11- यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन /



(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/विविध-01/2018- 335(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 19/03/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवलाय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 10/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव